न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 92/2024 निर्णय दिनांकः 8-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/109)

1. कैलाशचन्द्र पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी धीरदान तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 18–12–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री हरीकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18–12–2003 जिसके द्वारा अपीलांट्स का आवंटन बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर सामान्य आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट द्वारा चक 7 ए.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 175/3 में किला नम्बर 5 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 15, 16 में 2 बीघा, किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 22 में 16 बिस्वा किला नम्बर 23 में 17 बिस्वा किला नम्बर 24 में 17 बिस्वा किला नम्बर 25 में 17 बिस्वा कुल 7 बीघा 4 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 5 में 4 बिस्वा किला नम्बर 7 में 13 बिस्वा किला नम्बर 13 में 13 बिस्वा, किला नम्बर 14 में 18 बिस्वा किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 18 में 18 बिस्वा कुल 3 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि आवंटित कर दी गई उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि का आवंटन बावजूद सूचना सबूत पेश नहीं करने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कृषक होने के तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का आवंटन खारिज करने के उद्धेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का आंवटन खारिज किया जाता है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2)आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर चक 7 ए.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 175/3 में किला नम्बर 5 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 15, 16 में 2 बीघा, किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 22 में 16 बिस्वा किला नम्बर 23 में 17 बिस्वा किला नम्बर 24

राजस्व अपील अधिका
बीकानेर

बिस्वा किला नम्बर 25 में 17 बिस्वा कुल 7 बीघा 4 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 5 में 4 बिस्वा किला नम्बर 7 में 13 बिस्वा किला नम्बर 13 में 13 बिस्वा, किला नम्बर 14 में 18 बिस्वा किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 18 में 18 बिस्वा कुल 3 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन के पश्चात आवंटन आदेश प्राप्त करने उपस्थित नहीं होने तथा स्वयं सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के कारण अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालनय की आदेशिका दिनांक 30–01–2003 में यह अभिलिखित किया गया था कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को चक 7 ए.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 175/3 में किला नम्बर 5 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 15, 16 में 2 बीघा, किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 22 में 16 बिस्वा किला नम्बर 23 में 17 बिस्वा किला नम्बर 24 में 17 बिस्वा किला नम्बर 25 में 17 बिस्वा कुल 7 बीघा 4 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 5 में 4 बिस्वा किला नम्बर 7 में 13 बिस्वा किला नम्बर 13 में 13 बिस्वा, किला नम्बर 14 में 18 बिस्वा किला नम्बर 17 में 10 बिस्वा किला नम्बर 18 में 18 बिस्वा कुल 3 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया जाता है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आदेशिका दिनांक 30–01–2003 द्वारा चक 3 ए.डी.वाई. की प्रश्नगत भूमि अपीलांट को आवंटित की गई थी। इस आदेशिका में पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त के अध्यधीन यह आवंटन किया गया था। इस आदेशिका द्वारा अपीलांट को अन्य किसी तरह का साक्ष्य अथवा सबुत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित नही किया गया था। उसके पश्चात दिनांक 18/12/2003 को अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। इस आवंटन को निरस्त करने से पूर्व भी अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील अधिका
बीकानेर

जारी नोटिस की प्रार्थी पर विधिवत तामील प्राप्त हुई भी है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के आवंटन को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 8-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर